क्रमांक-90

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 2017 (श्रावण 06, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र 76-चुरहट श्री अजय सिंह, 11-लहार डॉ.गोविन्द सिंह, 31-राघौगढ़ श्री जयवर्द्धन सिंह, 95-पाटन श्री नीलेश अवस्थी, 18-भितरवार श्री लाखन सिंह यादव, 118-राजपुर (अ.ज.जा.) श्री बाला बच्चन, 75-गुढ़ श्री सुन्दरलाल तिवारी, 198-कुक्षी (अ.ज.जा.) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, 27-कोलारस श्री रामसिंह यादव, 116-केवलारी श्री रजनीश सिंह, 117-लखनादौन (अ.ज.जा.) श्री योगेन्द्र सिंह, 160-नरसिंहगढ़ श्री गिरीश भण्डारी, 108-बैहर (अ.ज.जा.) श्री संजय उइके, 88-पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, 56-जबेरा श्री प्रताप सिंह, 71-मऊगंज श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना), 50-राजनगर कुंवर विक्रम सिंह, 38-देवरी श्री हर्ष यादव, 64-नागौद श्री यादवेन्द्र सिंह, 100-जबलपुर पश्चिम श्री तरुण भनोत, 83-ब्यौहारी (अ.ज.जा.) श्री रामपाल सिंह, 94-बहोरीबंद कुंवर सौरभ सिंह, 104-डिण्डौरी (अ.ज.जा.) श्री ओमकार सिंह मरकाम, 128-पांढुर्णा (अ.ज.जा.) श्री जतन उइके, 9-अटेर श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, 47-खरगापुर श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, 79-चितरंगी (अ.ज.जा.) श्रीमती सरस्वती सिंह, 181-भीकनगांव श्रीमती झूमा सोलंकी एवं 109-लांजी से निर्वाचित सदस्य सुश्री हिना लिखीराम कांवरे को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल शहर, रेंज भोपाल की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 26.07.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 27.07.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

'' मुझे आपको यह सूचना देनी है कि धारा 151, 107, 116 (3) जा.फौ. के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री अजय सिंह, डॉ.गोविन्द सिंह, श्री जयवर्द्धन सिंह, श्री नीलेश अवस्थी, श्री लाखन सिंह यादव, श्री बाला बच्चन, श्री सुन्दरलाल तिवारी, श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, श्री रामसिंह यादव, श्री रजनीश सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री गिरीश भण्डारी, श्री संजय उइके, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, श्री प्रताप सिंह, श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना, कुंवर विक्रम सिंह, श्री हर्ष यादव, श्री यादवेन्द्र सिंह, श्री तरुण भनोत, श्री रामपाल सिंह, कुंवर सौरभ सिंह, श्री ओमकार सिंह मरकाम, श्री जतन उइके, श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, श्रीमती सरस्वती सिंह, श्रीमती झूमा सोलंकी एवं सुश्री हिना लिखीराम कांवरे को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.

तद्नुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के उपरोक्त सभी सदस्यों को दिनांक 26.07.2017 को 14.15 बजे बंदी कर उसी दिन 17.50 बजे विमुक्त कर दिया गया है. ''

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.